Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(i) G.S.R. 281(E) published in Gazette of India dated the 1st May, 1979, bringing the rate of additional duty on imported benzene at par with the current rate of excise duty on indigenous benzone, together with an explanatory memorandum.

(ii) G.S.R. 283(E) published in Gazette of India dated the 2nd May, 1979, regarding exemption to containers of durable nature when imported into India from the whole of basic, additional and auxiliary duty of customs leviable thereon, subject to the condition that the containers are re-exported within a certain period, together with an explanatory memorandum.

(iii) G.S.R. 284 (E) and 285(E) published in Gazette of India dated the 2nd May, 1979 regarding exemption to empty gas cylinders for being filled with indigenous gas, when imported into India, from the whole of the basic, additional and auxiliary duty of customs leviable thereon, subject to the condition that such gas cylinders are re-exported within a certain period, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library. *See* No. LT—4432/79.]

11.32 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported distress sale of wheat by farmers due to Government's failure to purchase it at the fixed rate of Rs. 115 a quintal

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजराहो) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"गेहूं की 115 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित दर पर सरकार द्वारा खरीद न किये जाने के कारण किसानों को बाध्य हो कर सस्ते मूल्य पर गेहूं बेचने का समाचार"।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) The State Governments are primarily responsible for organising price support operations within their juisdiction. The Food Corporation of India operate within the States as an agent of the State Governments to the extent of the role assigned to them by the States. Government of India have repeatedly impressed upon the State Governments the necessity of ensuring coordinated and integrated working of the State agencies, like the State Civil Supplies Corporations, cooperative institutions and the Food Corporation of India in the matter of organising the price support operations. On the 20th and 24th March, before the commencement of the Rabi marketing season, I had personally reviewed the purchase arrangements made in some of the wheat producing States and discussed with the State Food Ministers and officials about the number of purchase centres opened, cash credit limit arranged, gunny supplies, transport problems, storage accommodation available and such other matters.

According to the information supplied by the State Governments, purchase centres have been opened in various States as follows:—

Punjab	...	776
Haryana	...	163
Uttar Pradesh	...	2748
Rajasthan	...	204
Madhya Pradesh	...	292
Bihar	...	533
Total	...	4716

From the trend observed so far, the market arrivals have been heavier this year than last year. According to the latest information available, a total quantity of 11.28 lakh tonnes ofwheat has been purchased under the price operations by the Food Corporation of India as well as the State agencies as on 7th May, 1979, as against 6 64 lakh tonnes purchased in the corresponding period last year.

Some time back, reports had reached the Government that purchase arrangements in certain pockets in States like Madhya Pradesh and Uttar Pradesh were not adequate. Attention of the State Governments was immediately drawn to these reports and they were asked to look into the matter and augment the purchase arrangements in those States. Food Minister U.P. has informed me yesterday, that the speed of procurement of wheat in that State was twice as fast as last year. There have been no reports of distress sales by the farmers. The State Governments have been advised to set up State level coordination committees headed by the Food Secretary to constantly keep the price support operations under review and take appropriate measures whenever and wherever required. State Govrnments have also been advised to set up district level committees consisting of officials and non-officials including M.Ps. and M.L.As. for reviewing the procurement operations from time to time.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कृषि मंत्री महोदय का वक्तव्य मैंने सुना। यह केन्द्र खोलने में बड़ी देरी हुई, आपने भी इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में बाद में व्यवस्था हुई, तो जो गरीबों के पास गेहूं था वह तो उन्हें सस्ते भाव पर बेचना ही पड़ा और उन्हीं की यह शिकायत है। आपने यह बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक 292 केन्द्र खोले गए और 2748 उत्तर प्रदेश में खोले गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले साल कितने थे और जब इस साल आपने स्वीकार किया कि मंडियों में गेहूं ज्यादा आ रहा है तो फिर इसकी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा केन्द्र खोलने चाहिये थे। इस मामले मे प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार सजग क्यों नहीं रही ?

मैं चाहता हूं कि जब आप उत्तर दें तो यह भी बतायें कि पिछले साल कितने थे और जब इस साल ज्यादा गेहूं मंडियों में आ रहा है तो फिर ज्यादा केन्द्र क्यों नही खोले गए ? आपने कहा कि इतना गेहूं अभी उपलब्ध कराया गया है। आपने 115 रुपए क्विंटल का भाव तय किया, उसकी यहां घोषणा की गई लेकिन जो खरीदी हो रही है उसके तीन तरह के रेट हैं—111, 112 और 115। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इसकी जांच करवायें। जब कि तीन तीन बार गेहूं छाना जाता है और किसानो का सही गेहू लिया जाता है तो दो तीन तरह के भाव क्यो दिए जाते हैं ? यह किसानों की शिकायत है और इसको जल्दी दूर किया जाना चाहिये।

आपने कहा है कि अब हमने यह सुझाव दिया है कि एक कमेटी बने जिसमें विधायक और लोक सभा के सदस्य भी रहे, तो यह तो अब आपने सुझाव दिया है, यह तो कमेटी पहले ही बननी चाहिये थी ताकि यह शिकायतें नहीं होतीं। आज शिकायत है किसानो की कि 115 रुपया जो भाव तय किया है वह उनको नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर सख्ती से ध्यान दें और इस बात को देखें कि उन्हें वाजिब दाम मिलना चाहिये।

जो क्वालिटी इंसपेक्टर हैं वह केवल एक बार जाते हैं और उनसे कह आते हैं कि तुम्हें तो इतने भाव पर लेना है चाहे अच्छा गेहूं ही क्यो न हो। तो जो देखने वाले हैं और उसका भाव

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

तय करने वाले हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये । कम से कम जो भारत सरकार ने भाव निश्चित किया है उतना उनको दाम मिलना चाहिये ।

वैसे तो किसानों का दाम भी कम किया गया है । जब यहां बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया था, यहां संसद् सदस्यों ने भी कहा कि ज्यादा भाव होना चाहिये और जो मुख्य मंत्रियों और कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई थी उसमें उन्होंने 130 रुपए क्विंटल का भाव रखने का सुझाव दिया था केवल दो राज्यों को छोड़कर लेकिन शासन ने नहीं माना और इतना भाव कम किया गया जिससे कि किसानों को बड़ा घाटा हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि उत्पादन करने में जो सामान लगता है उसका कीमत कितनी बढ़ी है और जो उसको चीजें खरीदनी पड़ती है उसके भाव कितने है ? लोहे का भाव देखें, दुगुना हो गया है, इसी तरह कपड़े का भाव देखें, मिट्टी का तेल कितना महंगा हो गया है, और नमक जो इतनी जरूरत की चीज है वह कितना महंगा हो गया है ? तो किसान को कितनी महंगी चीज खरीदनी पड़ती है और उसकी उपज का भाव रखा गया है 115 रुपए क्विंटल। तो हम चाहते हैं कि आगे जो आपका कृषि आयोग हो उसमें किसानों के प्रतिनिधि आप रखिए । मुझे मालूम हुआ कि एक प्रतिनिधि थे, वह भी नहीं बुलाये गए । तो किसानों के ज्यादा प्रतिनिधि होने चाहियें ताकि किसानों की वाजिब बात तो वहां कोई कह सकें। नहीं तो यही होता है कि उनको वाजिब दाम नहीं मिलता है ।

अब मैं केवल तीन सवाल आप से करना चाहता हूं । पहला यह है कि आपने स्वीकार किया है कि मंडियों में गेहूं ज्यादा आ रहा है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात बताता हूं, वहां आप ने जो खरीद केन्द्र के बनाए हैं वह बहुत कम है । टीकमगढ़, महडोल, भिंड, दतिया और विदिशा इन जिलों में बहुत ही कम खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं और जो बनाए गए हैं वह अभी अच्छी तरह से चालू नहीं हुये हैं। इसलिए पूरी तरह से जितनी आवश्यकता है उतने केन्द्र खोले जायें और कम से कम 115 रुपए का भाव तो किसानों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाय । सभी केन्द्र जल्दी से जल्दी चालू हो सके ऐसी व्यवस्था आप करें । दूसरे, यह जो 115 रुपए का केन्द्र पर खरीदा जाता है तो हम यह चाहते हैं कि उसका दाम पूरा मिले, कम नहीं मिलना चाहिए । अगर कहीं शिकायत आती है तो उसका एक्सप्लेनेशन लेना चाहिये । जो कृषि मूल्य आयोग है उसमें आप किसानों के प्रतिनिधि को रखेंगे ऐसा आप सदन में आश्वासन दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह : एक प्रश्न यह पूछा गया कि क्या इस साल गेहूं की अधिक पैदावार और आमद के कारण क्रय-केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है, तो इसका उत्तर है कि जी हां, बढ़ाई गई है । विशेषकर मध्य प्रदेश में क्रय-केन्द्रों की संख्या पिछले वर्ष 198 थी, वह इस वर्ष 292 कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में 2385 थी जो 2748 कर दी गई है ।

जहां तक एम०एल०ए० और एम० पीज की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के निर्माण का प्रश्न है, यह फैसला आज का नहीं है, यह फैसला मार्च में कर लिया गया था । राज्य सरकारों से कहा गया कि इस प्रकार की कमेटीज जिला स्तर पर बना दें । मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप अपने जिलों में इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने की तरफ ज्यादा ध्यान दें । (व्यवधान) जो केन्द्रीय सरकार के आदेश हैं वह आपको बतला दिए, अब आपको अधिकार है कि जिला कमेटीज में . . . (व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is a Calling Attention. Kindly answer only Mr. Nayak's question.

श्री उग्रसेन (देवरिया) : किसानो का नाश हो गया है । (व्यवधान) न सरकार के पास बोरे हैं न अन्य सुविधायें फिर हम क्या खाक मदद देंगे । (व्यवधान)

श्री भानुप्रताप सिंह : आपने एक प्रश्न यह उठाया कि 115 रुपए पूरे मिलने चाहियें गेहूं के लिए । हमने ग्रेड वन और ग्रेड टू में गेहूं लेने के लिए कहा है। ग्रेड वन के स्पेसिफिकेशन्स आप भी जान लें क्योंकि जिला स्तर पर आपको काम करना है और उसी के अनुसार वह होना चाहिये ।

Grade I specifications: Foreign matter 0.5 per cent, other foodgrains 2 per cent; damaged grains 2 per cent: slightly damaged grains 5 per cent; Shrivelled and broken 6 per cent.

इतने तक इजाजत है । (व्यवधान)

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : जिन लोगों को हैंडलिंग का काम दिया गया है वे कोई टेक्नीशियन्स नहीं है, वे इन बातों को नहीं जान सकते हैं फिर वे कैसे किसानों को सही मूल्य दे सकेंगे ? हैंडलिंग का काम तो लेबर करते है लेकिन हैंडलिंग के ठेके बड़े बड़े लोगो को दिए गए हैं। (व्यवधान) ।

श्री भानु प्रताप सिंह : प्रत्येक क्रय-केन्द्र पर रखने से पहले उनको ट्रेनिंग दी गई है। वे वर्षों से इस कार्य को करते रहे हैं। और उनको जानकारी है। (व्यवधान)

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Their problem is genuine. If he does not answer the very purpose of the discussion is lost.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Order, order. You must know the rules. It is a Calling Attention.

श्री भानु प्रताप सिंह: इसी तरह से ग्रेड टू में 1.5 परसेंट तक फारेन मैटर होगा . (व्यवधान)

मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Order, order. You are converting this into a debate. That is not allowed. It is only a Calling attention.

11.43 hrs.

PETITION RE. GRIEVANCES AND DEMANDS OF RAILWAYMEN

श्री उग्रसेन (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों के बारे में आल इंडिया रेलवेमैन फेडेरेशन, नई दिल्ली के महामंत्री श्री जे० पी० चौबे द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE SEVENTEENTH REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to present the Seventeenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table.

11.45 hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 752 DATED 17-4-1979 RE. PAYMENT MADE BY INDIAN DRUGS AND PHARMACEUTICALS LTD., TO ITS ITALIAN COLLABORATORS FOR TRANSFER OF TECHNOLOGY

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): I beg to lay on the Table a statement clarify-